रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2009/अग्रहायण 27, 1931
No. 373] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2009/AGRAHAYANA 27, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

जांच परिणाम

विषय : इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/4/2006-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने उपयुक्त नियमों के अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयातों के कथित पाटन के बारे में दिनांक 27-10-2009 की अधिसूचना के जरिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी। निर्णायक समीक्षा की शुरूआत दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्ष, 2006 के डब्ल्यूपी सं. 16893 के आदेशों के आधार पर इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयातों के संबंध में पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए की गई थी।

2. केन्द्र सरकार ने अपने दिनांक 13-4-2005 की अधिसूचना सं. 35/2005-सीमा-शुल्क के द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना के जरिए लगाया गया पाटनरोधी शुल्क दिनांक 12-4-2010 को समाप्त हो जाना है तथापि घरेलू उद्योग ने नियमानुसार पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. दिनांक 27-10-2009 की निर्णायक समीक्षा जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रति और आवेदन का प्रपत्र संलग्न करते हुए घरेलू उद्योगों से दिनांक 9-11-2009 के पत्र के जरिए विहित प्रारूप एवं पद्धति में संगत सूचना प्रस्तुत करने और वर्तमान समीक्षा के संबंध में प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था और उन्हें मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए जांच शुरूआत अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 40 (चालीस) दिनों का समय दिया गया था। उस पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमानुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

4. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण की तारीख से 5 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, बशर्ते किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। वर्तमान मामले में किसी भी घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 40 (चालीस) दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में अपेक्षित सूचना और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि रिकॉर्ड में यह निर्धारित करने के लिए कोइ सूचना नहीं है कि वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, अत: प्राधिकारी पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करने की उपयुक्तता का आकलन करने एवं उसे उचित सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है ।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेंसेटिव पेपर के आयातों पर केन्द्र सरकार की दिनांक 13-4-2005 की अधिसूचना सं. 35/2005-सी. शु. द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अवधि में आगे विस्तार न किया जाए। इस जांच से संबंधित सभी कार्यवाहियों को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

FINDINGS

Subject: **Sunset Review Anti-Dumping Investigation concerning imports of Thermal Sensitive Paper originating in and exported from Indonesia-Malaysia and UAE.**

No.15/4/2009-DGAD .—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury), Rules, 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, had initiated a Sunset Review investigation *vide* Notification dated 27-10-2009 into the alleged dumping of imports of Thermal Sensitive Paper originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE. The Sunset Review investigation was initiated basing on the orders of the Delhi High Court in WP No. 16893 of 2006 to examine the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury on imports of Thermal Sensitive Paper originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE.

2. The Central Government *vide* Notification No. 35/2005-Customs dated 13-04-2005 had notified the imposition of definitive Anti-Dumping Duty on the imports Thermal Sensitive Paper originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE. Although the Anti-Dumping Duty imposed by the Central Government *vide* the above notification is due for expiry on 12-04-2010, the Domestic Industries have not applied for a Sunset Review of the Anti-Dumping Duty as per the rules.

3. The domestic industries were requested *vide* letter dated 09-11-2009, enclosing a copy of the sunset review investigation initiation notification dated 27-10-2009 and application pro-forma, to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority relating to the present review and were allowed forty days (40 days) time from the date of issue of the initiation notification to submit the information related to the case. It was also made clear therein that if no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

4. Section 9A(5) of the Customs Tariff Act provides that the anti-dumping duty imposed shall, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In the instant case, none of the Domestic Industries have submitted the required information in prescribed Proforma (Application for Domestic Industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both, substantiating the need for continuation of anti-dumping duty, within 40 (Forty) days of the issue of the Initiation Notification. Since there is no information on record to establish that the cessation of the present duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority is not in a position to assess and justify the appropriateness of recommending extension of the anti-dumping duties earlier imposed.

5. In view of the above, the Authority recommends that the anti-dumping duties on the imports of Thermal Sensitive Paper, originating in or exported from Indonesia, Malaysia and UAE, imposed by the Central Government *vide* Notification No. 35/2005 Customs dated 13-04-2005 may not be extended further. All proceedings connected with this investigation are hereby terminated.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.